

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-85/1462/एक-1-2016-5(50)/2012

लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	जाहिदपुर खुर्द	251	0.0129	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
2					272	0.0277	
3					262	0.0152	
4					235	0.0170	
5					222	0.0140	
6					215	0.0196	
7					214	0.0194	
8					177	0.0272	
9					169	0.0375	
10					161	0.0214	
11					156	0.0239	
12					157	0.0232	
13					148	0.0196	
14					83	0.0174	
15					158	0.0210	
16					2	0.0210	
17					1	0.0209	
18				सुल्तानपुर	466	0.0174	

19					451	0.0084	
20					452	0.0134	
21				इस्माइलपुर बुढैना	773	0.0260	
22					772	0.0195	
23					766	0.0216	
24					758	0.0205	
25					761	0.0135	
26					728	0.0902	
27					451	0.0153	
28					445	0.0308	
29					425	0.0110	
30					422	0.0137	
				योग	कुल 30	0.6602 हे0	
					गाटा		

2. यह भी आदेश दिये जाते हैं कि कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनांक 03.06.2016 के अनुसार डेडीकेटेड फ्रंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-

भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" के नाम जमा कराया जायेगा।

-3-

-3-

4. डेडीकेटेड फ्रंट कारीडोर रेल परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- मुख्य मार्ग, चकमार्ग व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा मुख्य मार्ग, चकमार्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्ध नहीं करेंगे।

5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-4787/2001 हिन्च लाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि में पारित आदेश दिनांक 25-07-2001 में तालाब, पोखरों एवं जलाशयों तथा अन्य जल प्रणालियों के वर्तमान स्वरूप को अपरिवर्तित बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, अर्थात् उनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाये। डेडीकेटेड फ्रंट कारीडोर रेलवे परियोजना, भारत सरकार के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए, नदी करो की भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति इस शर्त के दी जा रही है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप नदी करो के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति नदी करो का स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता बनाये रखेंगे और उसे अपने व्यय पर खुदाई कराकर और गहरा करायेंगे। रेलवे विभाग, भारत सरकार नदी करो पर डेन/पुल/पुलिया का निर्माण कराते हुए नैसर्गिक जल प्रवाह एवं प्राकृतिक स्वरूप को यथावत बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

6. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, तथा शासनादेशों के आलोक में डेडीकेटेड फ्रंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 30 गाटा रकबा 0.6602 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण रेलवे विभाग, भारत सरकार हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखी जायेगी।

7. कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनांक 03.06.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव।

-4-

-4-

संख्या-1462(1)/एक-1-2016-5(50)/2012 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को उनके पत्र संख्या-2246/डीएलआरसी, दिनांक 05.11.2016, पत्र संख्या-2247/डीएलआरसी, दिनांक 05.11.2016 एवं पत्र संख्या-2248/डीएलआरसी, दिनांक 05.11.2016 के सन्दर्भ में।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक डी0एफ0सी0सी0एल0, 702/2 शास्त्री नगर, मेरठ।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, 96, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कर 15 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।